



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 217 राँची, बुधवार,

11 मई, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

7 अप्रैल, 2022

संचिका संख्या-4/स.भू प०सिंह०-75/2020-1216/रा०--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय:-

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-30.03.2022 में मद संख्या-43 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत मौजा-गुवा, थाना सं०-20, खाता सं०-01, 03 एवं 04 के प्लॉट संख्या-143, 15, 356, 27, 357(P), 126, 129, 130, 132 एवं 133 में सन्निहित रकबा-34.14 एकड़ भूमि का लीज नवीकरण हेतु संगणित सलामी की राशि 2,22,64,705/- (दो करोड़ बाईस लाख चौंसठ हजार सात सौ पाँच) रुपये तथा विभागीय संकल्प सं०-4306/रा., दिनांक-24.10.14 के आधार पर नवीकरण के समय स्वीकृत वार्षिक

लीज रेन्ट में 8.75 गुणा की वृद्धि कर उसे मूल वार्षिक लीज रेन्ट मानते हुए प्रत्येक वर्ष वार्षिक लीज रेन्ट Indexing Factor के आधार पर भुगतेय लीज रेन्ट एवं अलावे सेस की राशि (संलग्न अनुसूची-I) की अदायगी पर मेसर्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि० के नाम से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ दिनांक-24.04.2020 से अगले 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज नवीकरण के संबंध में ।

आदेश:- स्वीकृत ।

- (i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि लीजधारी को लीज समाप्ति वर्ष से अद्यतन बकाये लगान एवं सेस की राशि निर्धारित सूचकांक के अनुसार एक मुश्त सरकारी कोष में जमा करना होगा ।
- (ii) लीजधारी को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु शेष वर्षों के लिए लीज रेन्ट का निर्धारित सूचकांक के अनुसार वार्षिक लगान अलावे सेस का भुगतान करना होगा ।
- (iii) लीजधारी को लीज नवीकरण स्वीकृति के उपरांत लीज नवीकरण संबंधी विहित प्रपत्र में एकरारनामा कर निबंधन कराना होगा ।
- (iv) इस लीज नवीकरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष "0029 भू-राजस्व-107" के अंतर्गत जमा होगी ।
- (v) भूमि मात्र व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ही रहेगा ।
- (vi) लीजधारी को खासमहाल मैनुएल में निहित प्रावधान, राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4306/रा०, दिनांक-24.10.14 में उल्लेखित शर्तें तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/अनुदेशों का पालन करना होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुसूची-1

1. प्रस्तावित भूमि का दर = 1,50,00,000/- रुपये प्रति एकड़ ।
2. प्रस्तावित भूमि का रकबा = 34.13 एकड़
3. भूमि का मूल्यांकित राशि = भूमि का रकबा x भूमि का दर प्रति एकड़
= 34.13x1,50,00,000/- =51,19,50,000/- रुपये ।
4. अद्यतन बाजार मूल्य के आधार पर प्रयोजनानुसार व्यवसायिक उद्देश्य हेतु 5% सलामी =
भूमि की मूल्यांकित राशि का 5% = 51,19,50,000/- X 5%=2,55,97,500/- रुपये ।
5. पूर्व में ली गयी सलामी की राशि = 33,32,795/- रुपये ।
6. नवीकरण हेतु वसूलनीय सलामी राशि=2,55,97,500/- -पूर्व में जमा की गई सलामी राशि ।
= 2,55,97,500/- -33,32,795/-=2,22,64,705/- रुपये ।
7. मूल वार्षिक लीज रेन्ट (पूर्व लगान का 8.75 गुणा)=17,918/-x8.75 =1,56,782.50 रुपये
अलावे सेस ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।
